[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 34/2018- सीमा शुल्क (ऐडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 2018

सा.का.नि.   (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "न्यू/अनयूज्ड न्यूमैटिक रेडियल टायर्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4011 20 10 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/14/2015-डीजीएडी, दिनांक 01 अगस्त, 2017, जिसे दिनांक 01 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि–

(i) प्रश्नगत उत्पाद का विषयगत देश से इसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया गया था ।
(ii) विषयगत देश से होने वाले इस विषयगत आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।
(iii) यह क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के भारी आयात के कारण हुई है ;

और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1169 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया है ।

और जहां कि मैसर्स शांगडोंग हाओहुआ कंपनी लि. (हाओहुआ) (उत्पादक) ने गुआंगझाओ एक्सीड इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी कं.लि. (निर्यातक) और एच के ट्रेड विंग ट्रेडिंग लि. (निर्यातक) के साथ मिलकर सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार उस निर्यात के बारे में समीक्षा करने का अनुरोध किया है जो कि उनके द्वारा किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शीपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/8/2018-डीजीएडी, दिनांक 16 मई, 2018 जिसे 16 मई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उन सभी विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यातकों के अनंतिम आंकलन की सिफारिश की है जिसका निर्यात उपर्युक्त पार्टी ने किया है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक की इसके द्वारा समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात एतदद्वारा निर्देश देती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा के परिणाम के आने तक विषयगत वस्तु, जब इनका मूलत: उत्पादन या निर्यात विषयगत देश में मैसर्स शांगडोंग हाओहुआ कंपनी लि. (हाओहुआ) (उत्पादक) ने गुआंगझाओ इक्सिसड इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी कं.लि. (निर्यातक) अथवा एच के ट्रेड विंग ट्रेडिंग लि. (निर्यातक) के साथ मिलकर किया हो और इनका आयात भारत में हुआ हो, का तब तक अनंतिम आंकलन किया जाता रहेगा जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है ।

यह अनंतिम आंकलन उस प्रतिभूति या गारंटी के अधीन होगा जिसे सीमा शुल्क का यथोचित अधिकारी यह समझे कि किसी प्रकार की कमी की स्थिति में भुगतान के लिए यह उपयुक्त है और यदि निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने के अधीन रहेगी ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा के पूरा होने के पश्चात प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की सिफारिश किए जाने पर आयातकर्ता उस प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा जो कि विषयगत वस्तुओं के सभी प्रकार के आयात, जब इनका मूलत: उत्पादन या निर्यात विषयगत देश में/से मैसर्स शांगडोंग हाओहुआ कंपनी लि. (हाओहुआ) (उत्पादक) ने गुआंगझाओ एक्सीड इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी कं.लि. (निर्यातक) अथवा एच के ट्रेड विंग ट्रेडिंग लि. (निर्यातक) के द्वारा किया जा रहा हो और उनका भारत में आयात किया जा रहा हो । यह प्रतिपाटन शुल्क उक्त समीक्षा के प्रारंभ होने की तिथी से लागू होगा ।

[फाइल संख्या 354/66/2017 –टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार